भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 154

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018 / 20 अग्रहायण, 1940 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

'एक विरासत स्थल को गोद लो' योजना

154. श्री मो. नदीमुल हकः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'एक विरासत स्थल को गोद लो' योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अभी तक चिन्हित विरासत स्थलों का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा गोद लिए गए विरासत स्थलों का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत विरासत स्थल तय करने हेतु मानदंड क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) : एक धरोहर अपनाएं : अपनी धरोहर, अपनी पहचान", पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है । जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध ढंग से पर्यटन संभावना तथा सांस्कृतिक महत्व के संवर्धन हेतु विरासत स्थलों का विकास करना और उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाना है । इसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

एक धरोहर अपनाएं : अपनी धरोहर, अपनी पहचान" परियोजना के अंतर्गत स्मारक मित्रों का चयन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है :-

- ✓ आवश्यकता - अंतराल विश्लेषण
- ✓ लक्ष्य विकास
- ✓ अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध तथा कम पर्यटकों वाले स्थानों को अपनाना
- ✓ प्रचालन तथा रख-रखाव योजना
- ✓ दृश्यता संबंधी आवश्यकता और योजना

✓ स्मारक मित्रों के प्रत्यय पत्र

यह परियोजनाएं मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है जिनमें साफ-सफाई, जन सुविधाएं, सुरक्षित पेय जल, पर्यटकों हेतु आसान पहुंच, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, वाई-फाई आदि और साउंड एंड लाइट शोज़, मूलभूत उपहार गृह तथा अल्पाहार काउंटर सहित पर्यटक सुविधा केन्द्र जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है ।

कुल 580 से ज्यादा पंजीकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 37 एजेंसियों (जिन्हें स्मारक मित्र कहा गया है) को भारत में कुल 107 स्मारकों/पर्यटक स्थलों के लिए विज़न बोली प्रस्तुत करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किए गए हैं ।

(ख) : एक धरोहर अपनाएं योजना के तहत ऐसे किसी भी स्मारक / विरासत स्थल / प्राकृतिक स्थल पर विचार किया जा सकता है जिसका परिपंपत्ति मालिक (एएसआई, राज्य सरकार आदि) इस योजना में शामिल है ।

(ग) : अब तक 10 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं । ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है ।

(घ) : परियोजना के दिशा-निर्देश व्यापक हैं । इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल नीचे सूचीबद्ध हैं :

✓ एएसआई के तहत सूचीबद्ध टिकट वाले स्थल
✓ अन्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल
✓ कोई अन्य पर्यटक स्थल अथवा स्मारक

प्रसिद्धि तथा पर्यटक आगमन के आधार पर एएसआई के तहत टिकट वाले स्थलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है । इन स्थलों को तीन श्रेणियों यथा हरा, नारंगी और नीला में वर्गीकृत किया गया है । हरा रंग अधिक प्रसिद्धि एवं पर्यटक आगमन, नारंगी रंग मध्यम स्तरीय और नीला रंग कम प्रसिद्धि एवं पर्यटक आगमन को दर्शाता है ।

****

अनुबंध

'एक विरासत स्थल को गोद लो' योजना के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 154 दिनांक 11.12.2018 के भाग (ग) के उत्तर में **विवरण**

क्र.सं.	**एजेंसी/एमएम**	**क्र.सं.**	**स्थान**	**श्रेणी**	**राज्य**
1	डालमिया भारत लि.	1.	लाल किला	हरा	दिल्ली
		2.	गांडीकोटा फोर्ट	नीला	आंध्र प्रदेश
2	रोमांचकारी टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई)	3	गंगोत्री मंदिर के आस-पास का क्षेत्र तथा गोमुख तक का मार्ग	नीला	उत्तराखंड
		4	माउंट स्टॉक कांगड़ी ट्रेक,लद्दाख	नीला	जम्मू एवं कश्मीर
3	एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल	5.	जंतर मंतर	नीला	दिल्ली
4	ब्लिस इन्स (वी रिज़ार्ट)	6.	सूरजकुंड	नारंगी	हरियाणा
5	यात्रा ऑनलाइन	7.	कुतुबमीनार	हरा	दिल्ली
		8.	अजंता गुफाएं	नीला	महाराष्ट्र
		9.	हंपी (हजारा राम मंदिर)	हरा	कर्नाटक
		10.	लेह पैलेस	नारंगी	जम्मू एवं कश्मीर

******